UPAL010016402026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–767 सन् 2026

पप्पू पुत्र डालचन्द्र, निवासी–ग्राम जिजाथल, थाना छर्रा, जनपद–अलीगढ़।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी / वादी

आदेश

प्रार्थना पत्र जमानत आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **पप्पू पुत्र डालचन्द्र द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–324 / 2025 धारा–64(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना छर्रा,** जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी देवमुनी बाबा ग्राम पंचायत जिजाथल की सरकारी जमीन पर आश्रम बनाकर रह रहा है जिसमें कि हनुमान जी की मूर्ति भी एक मन्दिर में स्थापित है तथा उक्त आश्रम की देखरेख करता है। दिनांक–19.11.2025 को वादी मांगने खाने गया था तो उसकी अनुपस्थिति में गांव का ही **पप्पू** पुत्र डालचन्द्र जिसकी उम्र 45 वर्ष है आश्रम पर आया और वादी की बाई सावित्री से वादी के बारे में पूछने लगा तथा फिर उसने बाई सावित्री को बीस रूपये दिये तथा अपनी बातों में लेकर बाई सावित्री के साथ रेप कर दिया। जब वादी शाम को आश्रम आया तो उपरोक्त घटना से बाई सावित्री ने अवगत कराया। इस पर वादी गांव के भले लोगो को बताया तथा लोकलाज की डर से वादी थाने में सूचना देने में लेट हो गया। वादी काफी सोच समझकर थाने गया और रिपोर्ट दर्ज करायी।

4– अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। सत्यता में वादी मुकदमा द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है एवं बच्चों को वहॉ खेलने नही देता है, जिसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया गया व तहसील दिवस पर शिकायत की गयी, जिस कारण वादी द्वारा उक्त झूठा मुकदमा लिखाया गया है। पीड़िता वादी की विवाहिता पत्नी नही है। इसी बावत ग्राम कें संभ्रान्त व्यक्तियो द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ के माध्यम से विवेचना अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे। इससे पूर्व भी वादी ग्राम के अन्य व्यक्तियों पर भी दबाव बनाने व पैसा ठगने की नीयत से समान आरोप लगा चुका है व ठगी कर चुका है। अभियुक्त शादीशुदा बाल–बच्चों वाला संभ्रान्त व्यक्ति है तथा पूर्व सजायाफ्ता नही है

और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त को इलाका पुलिस दिनांक–26.11.2025 को घर से उठा कर दिनांक–28.11.2025 को फर्जी गिरफ्तारी दिखा कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त दिनांक–28.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।घटना की सूचना 08 दिन बाद सोच विचार कर की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई समय अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा घटना के समय मौजूद नही था जबकि इसके विपरीत पीड़िता द्वारा बयान धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वादी देवमुनी को अभियुक्त पप्पू के आने पति को घर पर आना कहा है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने गम्भीर अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा प्रस्तुत केस डायरी व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 19.11.2025 को जब वादी मुकदमा मांगने खाने गया था तब वादी की अनुपस्थिति में अभियुक्त वादी के आश्रम में आया और उसकी बाई को 20 रूपये देकर अपनी बातों में लेकर वादी की बाई के साथ बलात्कार करना कहा गया है। शाम को वादी के वापस आने पर बाई द्वारा वादी को घटना से अवगत कराया जाना कहा गया है। वादी मुकदमा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है तथा पीड़िता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिन में जब वह झोपड़ी में अकेली थी तब अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करना कहा गया है। इसके अतिरिक्त पीड़िता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी अभियुक्त द्वारा जबरजस्ती पति–पत्नी के सम्बन्ध बनाये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **पप्पू** पुत्र डालचन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– संगम (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 12:52:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court